निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 27/2025
दायरा दिनांकः— 22.04.2025
निर्णय दिनांकः— 19.08.2025

उनवान

1. लियाकत अली पुत्र जवाब अली
2. हजरत अली पुत्र जवाब अली जातियान मुसलमान निवासीगण बरबटखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

...प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहम्मद अली पुत्र जवाब अली
2. शौकत अली पुत्र जवाब अली जातियान मुसलमान निवासीगण ग्राम बरबटखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
3. जाकिर पुत्र सादुल्ला खान जाति मुसलमान निबासी छबड़ा
4. बानोबाई पत्नी मुबारक अली जाति मुसलमान निवासी बरबटखेड़ी तहसील छबडा जिला बारां (राज०)
5. राज० सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 19.08.2025

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री दीपक वर्मा — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बरबटखेडी तहसील छबड़ा की कृषि भूमि खाता संखा 98 की खसरा नंबर 141 रकबा 0.0379 है०, खसरा नंबर 142 रकबा 0.5059 है०, खसरा नंबर 143 रकबा 0.1138 है०, खसरा नं. 148 रकबा 2.6937 है०, खसरा नंबर 153 रकबा 3.0098 है०. खसरा नंबर 211 रकबा 0.5817 है०, खसरा नंबर 212 रकबा 0.0379 है०, खसरा नंबर 213 रकबा 0.0885 है०, खसरा नंबर 214 रकबा 0.2782 है०, खसरा नंबर 215 रकबा 0.0253 है०, खसरा नं. 69 रकबा 1.1129 है० कुल किता 11 रकबा 8.4856 है० वादीगण तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार वाके माल बरबटखेडी तहसील छबड़ा की भूमि खाता संख्या 118 की खसरा नं. 67 रकबा 7.3096 है० भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के शामलाती खातेदारी में दर्ज जमाबंदी चली आ रही है। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4—1/4 है। प्रार्थीगण का उक्त भूमियात में हिस्सा 1/4—1/4 है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण को अपने खाते व हिस्से की भूमि काश्त करने में अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 निरंतर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और प्रार्थीगण खाता विभाजन करवाए बिना

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अपने हिस्से की भूमि में भी सुधार करवाने से भी वंचित है। इसलिए प्रार्थीगण का खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक हो गया है। यदि अप्रार्थीगण ने खाता विभाजन हुए बिना भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे और न ही भूमि को दान, रहन, बेचान करे। ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करवावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त। बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम बरबटखेडी सम्वत 2075–78 खाता सं. 98, नकल जमाबदी ग्राम बरबटखेडी सम्वत 2075–78 खाता सं. 118, पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, लियाकत अली, फोटो प्रति आधार कार्ड हजरत अली पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बरबटखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण एवं अपार्थीगण के शामलाती खातेदारी मे है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/4,1/4 है। प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण को काश्त करने मे अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थी द्वारा इसलिए खाता विभाजन कराने का दावा पेश किया है। विवादित भूमि के मूल वाद का निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह पार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बरबटखेडी सम्वत 2075–78 खाता सं. 98 मे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम बरबटखेडी सम्वत 2075–78 खाता सं. 118 में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज है। प्रार्थीगण का मुताबिक जमाबंदी विवादित आराजी मे हिस्सा 1/4–1/4 शामलाती खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण को काश्त करने मे अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न करते है। इसलिए विवादित आराजी का बटवारा कराने के लिए दावा पेश किया है। प्रार्थी मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबन्द कराना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे। चूंकि विवादित आराजी का साक्ष्य/सबूतो के आधार पर मूल वाद मे निस्तारण किया जाता है। तब तक अप्रार्थीगण को पाबन्द करने हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोंचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विवादित आराजी वाके ग्राम बरबटखेडी तह. छबडा के खसरा नंबर 141 रकबा 0.0379 है०, खसरा नंबर 142 रकबा 0.5059 है०, खसरा नंबर 143 रकबा 0.1138 है०, खसरा नं. 148 रकबा 2.6937 है०, खसरा नंबर 153 रकबा 3.0098 है०, खसरा नंबर 211 रकबा 0.5817 है०, खसरा नंबर 212 रकबा 0.0379 है०, खसरा नंबर 213 रकबा 0.0885 है०, खसरा नंबर 214 रकबा 0.2782 है०, खसरा नंबर 215 रकबा 0.0253 है०, खसरा नं. 69 रकबा 1.1129 है०, खसरा नं. 67 रकबा 7.3096 है मे प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)